पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 निहालसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर

2. मुकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

3. उर्मिला पुत्री निहालसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 24 सन 2018 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 351/339 के खसरा न0 486 की कुल 18.2230हैक एवं खाता संख्या 511/496 के खसरा न0 475/1020 की 3.7940हैक , खसरा न0 485 की 13.8100हैक कुल 17.6040हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 133–1/3 हिस्सा दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे पांच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–सोनडी

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 24 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. निहालसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
2. मुकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. उर्मिला पुत्री निहालसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया सक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 351/339 के खसरा न0 486 की कुल 18.2230हैक एवं खाता संख्या 511/496 के खसरा न0 475/1020 की 3.7940हैक , खसरा न0 485 की 13.8100हैक कुल 17.6040हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 133–1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने वादीगण के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बराबर के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्ततु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति होने से वाद वादी काबिल डिक्री है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेत स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 351/339 के खसरा न0 486 की कुल 18.2230हैक एवं खाता संख्या 511/496 के खसरा न0 475/1020 की 3.7940हैक , खसरा न0 485 की 13.8100हैक कुल 17.6040हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 133–1/3 हिस्सा दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे पांच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी